eSCR Citation– (2020) 4 S.C.R. 1055

पवन कुमार गुप्ता

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

[रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या 122 वर्ष 2020]

मार्च 20, 2020

[न्यायमूर्ति आर० भानुमती, न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति ए०एस० बोपन्ना]

भारत का संविधान: अनुच्छेद 32 एवं 72– रिट याचिका में भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका के निरस्तीकरण को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि क्षमा याचिका पर विचार करने के स्थापित सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया– रिट याचिकाकर्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की किशोरवयता के मोचन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था और संविधान की धारा 72 के अन्तर्गत क्षमा याचिका निरस्त करते समय इस पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया– **प्रतिपादित:** रिट याचिकाकर्ता के तर्क में कोई योग्यता नहीं है– याचिकाकर्ता ने पूर्व में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किशोरवयता का मोचन किया, और उस पर विचार करते हुये किशोर न्याय बोर्ड द्वारा याचिका को सत्र न्यायाधीश को अन्तरित किया गया– सत्र न्यायाशीश द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया गया– उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गयी– विशेष अनुमति याचिका भी निरस्त– इसलिये याचिकाकर्ता यह तर्क करने में सही नहीं था कि किशोरवयता का मोचन न्यायालयों द्वारा अन्तिम रुप से निर्धारित नहीं किया गया – याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किशोरवयता के मोचन पर न्यायालयों द्वारा विधिवत विचार कर निरस्त किया गया– याचिकाकर्ता द्वारा आगे तर्क किया गया कि उसे कारागार में प्रताड़ित किया गया उसे सिर पर चोटें आयी एवं उसे उचित उपचार नहीं दिया गया– कारागार में कथित उत्पीडन, यदि कोई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत क्षमा याचिका निरस्त किये जाने हेतु पारित अधिशाषी आदेश की न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकता– यह तर्क कि याचिकाकर्ता द्वारा शायद अन्य सह –अभियुक्तों के साथ समान आशय सहभागित नहीं किया गया और उसे गंभीर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, पर सभी न्यायालयों द्वारा पूर्व में ही विचार किया गया था और उसे दोषी पाते हुये और दोषसिद्ध किया गया– न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये, इस तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता – सह–दोषसिद्धों की ओर से प्रस्तुत रिट याचिकाओं को निरस्त करते हुये विस्तृत आदेश पारित किये गये थे– उन आदेशों के औचित्य को लागू करने पर इस रिट याचिका पर विचार हेतु कोई आधार नहीं है– जब शक्ति अत्यंत उच्च संवैधानिक प्राधिकार में निहित हो तो यह उपधारित किया जाना चाहिए कि उक्त प्राधिकारी ने मामले के सभी आयामों पर विचार करने के बाद सावधानीपूर्वक कार्य किया– यह नहीं कहा जा सकता की क्षमा याचिका पर स्वतंत्र मस्तिष्क से विचार नहीं किया गया– **रिट याचिका निरस्त– क्षमा याचिका– प्रशासनिक विधि– न्यायिक समीक्षा ।**

इपुरु सुधाकर एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य । (2006) 8 SCC 161: [2006] 7 Suppl. SCR 81; शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य । (2014) 3 SCC 1: [2014] 1 SCR 609 **आश्रय किया गया।**

<u>संदर्भित निर्णय विधि</u>

[2006] 7 Suppl. SCR 81 तथा [2014] 1 SCR 609 को इस निर्णय के पैरा 10 में आश्रय किया गया।

दाण्डिक मूल आधिकारिता: रिट याचिका(दाण्डिक) सं० 122 वर्ष 2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत

डा० ए०पी० सिंह, शम्स ख्वाजा, सुश्री गीता चौहान, वी०पी० सिंह, सुश्री प्रतिमा रानी, सुश्री रिचा सिंह, सदाशिव; **याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण ।**

तुषार मेहता, **महान्यायभिकर्ता**, कनु अग्रवाल, सुश्री स्वाती घिळियाल, रजत नायर, मनन पोपली, शान्तनु शर्मा, राजीव रंजन, भुवन कपूर, वरुण चुग, दिग्विजय डी०, बी०वी० बलराम दास; **उत्तरदाता के अधिवक्तागण ।**

न्यायालय का निम्न आदेश पारित किया गया–

आदेश

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता ने विभिन्न आधारों के साथ– साथ क्षमा याचिका पर विचार के तय सिद्धांतों का पालन नहीं किये जाने के आधार पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका के निरस्तीकरण को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता की किशोरवयता के मोचन को अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है और इस पहलू को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है।
2. भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश से इस पीठ का गठन हुआ; और, हमनें दिनांक 20.03.2020 को प्रात: 2:30 बजे बैठक की।
3. हमने डा० ए०पी० सिंह एवं श्री शम्स ख्वाजा याचिकाकर्ता/सिद्धदोषी पवन कुमार गुप्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। हमने भारत संघ एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायभिकर्ता श्री तुषार मेहता को भी सुना। यह मामला प्रात: 2:30 बजे से प्रात: 3:15 बजे तक सुना गया।
4. हमने ध्यानपूर्वक याचिकाकर्ता तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों व तर्कों का परिशीलन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
5. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.03.2020 को एक क्षमा याचिका प्रस्तुत की गयी एवं उसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 04.03.2023 को निरस्त किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.03.2020 को उन्हीं आधारों को दोहराते हुये दूसरी क्षमा याचिका प्रस्तुत की।
6. इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने *अन्य बातों के साथ साथ* विभिन्न आधार उठाए हैं, जैसे:– (i) कि वहां पर क्षमा याचिका का निरस्त किया जाना न्याय की विफलता थी; (ii) याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 08.10.1996 है और घटना की तिथि अर्थात दिनांक 16.12.2012 को वह मात्र 16 वर्ष का था अर्थात वह एक किशोर था एवं उसके किशोरवयता के दावे का अन्तिम निर्धारण नहीं हुआ था; (iii) याचिकाकर्ता को कारागार में प्रताडित किया गया था और उसे सिर पर चोटें भी आयी थी जिसका उसे उचित उपचार भी नहीं दिया गया।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्स ख्वाजा ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का अन्य सह–अभियुक्तों के साथ समान आशय शायद सहभागित नहीं था ; और, इसलिए, याचिकाकर्ता को अन्य सह–दोषिसिद्धों के साथ गंभीर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है।
8. श्री शम्स ख्वाजा ने हमारा ध्यान उस प्रेस आख्या की ओर भी आकर्षित किया है जिसके अनुसार भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने "महिलाओं पर हमलों" के बारे में चिंता व्यक्त की और यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया है उन्हें क्षमा याचिका दायर करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त प्रेस अख्या को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दया याचिका पर खुले मस्तिष्क से विचार किया है।
9. विद्वान महान्यायभिकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस कर्तन (Clipping) पर भरोसा किया गया है वह केवल एक प्रेस आख्या है और किसी भी स्थिति में, जहां तक कि POCSO का संबंध है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त किए गए विचार केवल सुधारों की दिशा में ही कहे जा सकते हैं।
10. इस न्यायालय द्वारा लिये गये सतत दृष्टिकोण, कि क्षमा याचिका में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित है। इस न्यायालय द्वारा *इपुरु सुधाकर एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य*, **(2006) 8 SCC 161;** के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया–

"34. इसलिए, यह स्थिति निर्विवाद है कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध है और उनके आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर रद्द किया जा सकता है:

(क) यह कि आदेश मस्तिष्क के प्रयोग के बिना पारित किया गया है।

(ख) यह कि आदेश दुर्भावना से ग्रसित है।

(ग) यह कि आदेश पूर्णरुप से बाहरी एवं अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया।

(घ) यह कि प्रासंगिक तथ्यों को विचारण से बाहर रखा गया।

(ड.) यह कि आदेश मनमानी से ग्रसित है।

35. विद्वान न्यायमित्र (*amicus curiae*) द्वारा दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है; एक क्षमा/माफी देने के आदेश में कारण बताने की वांछनीयता से संबंधित था, जबकि दूसरा समान रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न क्षमा/माफी देने के आदेश को वापस लेने की शक्ति से संबंधित था, यदि बाद में, यह स्पष्ट करने के लिए सामग्री प्रस्तुत की जाती है कि कुछ प्रासंगिक सामग्रियां थीं जिन पर विचार नहीं किया गया या व्यापक मूल्य की कुछ सामग्रियों को विचारण से बाहर रखा गया। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, ऐसे कारण निर्दिष्ट किये जाने चाहिये जिनके अभाव में न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया प्रभावित होगी।"

ईपुरु सुधाकर (Supra) के फैसले का *शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **(2014)3 SCC 1;** में पालन किया गया।

11. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं रिट याचिका में प्रस्तुत किये गए आधारों पर भी विचार किया है।

12. इस रिट याचिका में, मुख्य रूप से रिट याचिकाकर्ता ने यह तर्क देकर फिर से किशोर होने की दलील (मोचन) प्रस्तुत है कि उसकी जन्मतिथि 08.10.1996 है और घटना की तारीख 16.12.2012 को वह किशोर था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.12.2019 को गायत्री बाल संस्कार शाला, नारायणपुर, जिला अंबेडकर नगर नामक स्कूल द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र पर आश्रय किया है। विद्वान अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के किशोर होने के दावे को उक्त स्कूल द्वारा दिनांक 12.12.2019 को जारी किए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र के आधार पर अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है।

13. हम विद्वान अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह के उपरोक्त तर्क में योग्यता नहीं पाते हैं। याचिकाकर्ता ने पहले 30.08.2018 को किशोर न्याय बोर्ड–द्वितीय, प्रयास, दिल्ली के समक्ष किशोरवयता का मोचन देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था और उस पर विचार करने के बाद, किशोर न्याय बोर्ड ने याचिका को आदेश दिनांकित 14.09.2018 के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस, नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांकित 21.12.2018 के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को पोषणीय न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

14. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या– 1301/2019 प्रस्तुत की। आदेश दिनांकित 19.01.2019 के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया। उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या– 547 वर्ष 2020 [SLP (crl.) No. 547 of 2020] प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 को विशेष अनुमति याचिका को निरस्त करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया था।

15. याचिकाकर्ता का यह तर्क सही नहीं है कि किशोरवयता के मोचन पर न्यायालयों द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये किशोरवयता के तर्कों पर न्यायालयों द्वारा विधिवत विचार किया गया और निरस्त कर दिया गया।

16. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि जेल में यातना के कारण याचिकाकर्ता के सिर में चोटें आईं और उसे 10 से अधिक टांके लगाए गए और याचिकाकर्ता को उचित उपचार नहीं दिया गया। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका के निरस्तीकरण के आदेश की न्यायिक समीक्षा मात्र *ईपुरु सुधाकर (सुप्रा)* और *शत्रुघ्न चौहान (सुप्रा)* और अन्य निर्णयों में बताए गए आधार पर चुनौतियों के अधीन है। विद्वान महान्यायभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को उचित उपचार दिया गया था। विद्वान महान्यायभिकर्ता ने याचिकाकर्ता को कथित तौर पर दी गयी प्रताडना से भी इनकार किया। कारागार में कथित उत्पीडन, यदि कोई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत क्षमा याचिका निरस्त किये जाने हेतु पारित अधिशाषी आदेश की न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकती।

17. जहां तक श्री शम्स ख्वाजा के इस तर्क का प्रश्न है कि कि याचिकाकर्ता ने शायद अन्य सह – अभियुक्तों के साथ समान आशय सहभागित नहीं किया होगा और उसे गंभीर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, इस पर दोनों विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ – साथ इस न्यायालय

द्वारा पूर्व में ही विचार किया गया था और याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता को दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया गया।

18. न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्स ख्वाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पारित निरस्तीकरण के आदेश की न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

19. हमने सह–दोषसिद्ध मुकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका ***मुकेश कुमार बनाम भारत संघ***, *रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या– 40 वर्ष 2020 (29.01.2020)*, और सह– दोषसिद्ध विनय कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका ***विनय कुमार शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य*** – *रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या– 65 वर्ष 2020 (दिनांकित 14.02.2020)*, और सह–दोषसिद्ध अक्षय कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका ***अक्षय कुमार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य***– *रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या– 121 वर्ष 2020 (19.03.2020)* में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका के निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निर्धारण किया है। हमने भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिकाओं के निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली उन रिट याचिकाओं को निरस्त करते हुए विस्तृत आदेश पारित किए हैं।

20. उन आदेशों के औचित्य को लागू करने पर, हमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका निरस्त करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की याचना वाली इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

21. जैसा कि हमने उपरोक्त रिट याचिकाओं में पहले के निर्णयों में भी बताया है, जब शक्ति अत्यंत उच्च संवैधानिक प्राधिकार में निहित हो तो यह माना जाना चाहिए कि उक्त प्राधिकारी ने मामले के सभी आयामों पर विचार करने के बाद सावधानीपूर्वक कार्य किया है। यह नहीं कहा जा सकता की भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत क्षमा याचिका पर खुले मस्तिष्क से विचार नहीं किया।

22. तद्नुसार रिट याचिका निरस्त की जाती है।

रिट याचिका निरस्त ।

Digitally signed by ADITYA RANJAN
Date: 2023.11.03 16:40:09 EGT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sitapur